संख्याः 19/2017/ 434 /45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017

प्रेषक,

विनीत प्रकाश
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभागः **लखनऊ दिनांकः : 04 मई 2017**

विषय- सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित हो रही परियोजनाओं के पारेषण लाइन एवं सब स्टेशन के निर्माण हतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-329/नेडा--पीवी-एसई200एमडब्लू/बिड-2012-13, दिनांक 24 अप्रैल 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा स्रोतो पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत मै0 स्पाईनल इनर्जी एण्ड इन्फ्रास्टकचर लि0 द्वारा ग्राम सूपा, चरखारी रोड ,जनपद महोबा में स्थापित की जा रही 20 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट से विद्युत निकासी हेतु कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा (यूपीपीटीसीएल) द्वारा प्रेषित प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन के सापेक्ष धनराशि रू0 4,48,25,000.00 की प्रशासकीय स्वीकृति तथा विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2,24,12,500.00 (रू0 दो करोड़ चौबीस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीक़ृति शासनादेश संख्या-79/2016/1739/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 द्वारा र्निगत की गयी थी। तदनुक्रम में लेखानुदान अवधि (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिये अवशेष धनराशि रू0 2,24,12,500.00 (रू0 दो करोड़ चौबीस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय करने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः -

2- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय की जायेगी।

3- प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु यूपीपीटीसीएल कार्यदायी संस्था होगी। प्रायोजना का गठन यूपीपीटीसीएल द्वारा यूपीपीसीएल के वर्ष 2016-17 के शिड्यूल आफ रेट्स के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसी के आधार पर लागत का आंकलन किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रायोजना के निर्माण के समय यूपीनेडा द्वारा आगणन में उल्लिखित कार्य मदों की लागत का भुगतान वास्तविकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नही किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

6- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गतस्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य / योजना में सम्मिलित है।

7- प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थायूपीनेडा का होगा।/

8 कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथसाथ मुख्य जान बोर्ड के रूप में जन साधारण की/विवरण शिलापटकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

9- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइनड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के / उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। यूपीनेडा द्वारा यह निश्सुचित किया जायेगा कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्य की वीडियोग्राफी भी कराई जाय।

10- यूपीनेडा द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा यूपीनेडा द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभागअतिरिक्त / ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत - विभाग को यथाशीघ उपलब्ध करवाया जायेगा।

14- स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं पत्र संख्या 3/2017/बी-1-348/दस/2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च 2017 तथा अन्य संगत शासनादेशों/ वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखा शीर्षक-''4810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-102-सौर ऊर्जा-04-सौर ऊर्जा स्रोतो पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं पत्र संख्या 3/2017/बी-1-348/दस/2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अर्न्तगत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

विनीत प्रकाश
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
(4) राज्य योजना आयोग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनीत प्रकाश
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।